छत्तीसगढ़ विधानसभा

CHHATTISGARH LEGISLATIVE ASSEMBLY

भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का 70 वां सम्मेलन

70th Conference of Presiding Officers of Legislative Bodies in India

Symposium

On

"Role of Member as an Intermediary between Citizens and the Government"

संगोष्ठी

"नागरिक एवं सरकार के मध्य मध्यस्थ के रूप में सदस्य की भूमिका"

INTRODUCTORY ADDRESS

by

Hon'ble Shri Prem Prakash Pandey

Speaker

माननीय श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय

अध्यक्ष

द्वारा

परिचयात्मक उद्बोधन

गुरूवार, दिनांक 17 नवम्बर, 2005

Thursday, 17th November, 2005

रायपुर

Raipur

Hon'ble Speaker, Lok Sabha,
Shri Somnath Chatterjee ji;
Hon'ble Chief Minister, Dr. Raman Singh ji;
Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha, Shri K. Rahman Khan ji;
Hon'ble Deputy Speaker,Lok Sabha, Sardar Charnjit Singh Atwal ji;
Hon'ble Fellow Presiding Officers;
Hon'ble Ministers;
Hon'ble Members of Parliament;
Hon'ble Legisletors;
Journalist;
Ladies and Gentleman.

You are all, well versed in Parliamentary procedure and I extend my heartiest welcome to you all at this important Symposium.

Today, we have gathered here to ponder over an important Subject **"Role of Member as an Intermediary between Citizens and the Government"**. On this occasion, at the outset I express my gratitude to Dr. Raman Singh ji, Chief Minister of Chhattisgarh for giving his kind consent toinaugurate this Symposium. Dr. Saheb is well

माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी जी,
माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी,
माननीय उप सभापति राज्य सभा श्री के. रहमान जी,
माननीय उपाध्यक्ष लोक सभा सरदार चरणजीत सिंह अटवाल जी
समस्त पीठासीन अधिकारी गण,
माननीय उपाध्यक्ष गण,
माननीय उप सभापति गण,
छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री मंडल के माननीय सदस्य,
माननीय विधायक साथियों,
माननीय सांसदगण
एवं
समस्त उपस्थित अतिथिगण ।

आज इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में मैं आप सब संसदीय विधा संपन्न महानुभावों का आत्मीय स्वागत करता हूँ ।

नागरिक एवं सरकार के मध्य मध्यस्थ के रूप में सदस्य की भूमिका के महत्वपूर्ण विषय पर विचार मंथन करने के लिये आज हम सब यहाँ एकत्रित हुये हैं। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री, डॉ. रमन सिंह जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस सिम्पोजियम के उद्घाटन के लिये

versed in Parliamentary practices & procedures and is well known as an experienced and popular political leader. Today, we are fortunate enough to be benefitted from his parliamentary knowledge. I am sure that his address would certainly add to our knowledge.

Today's subject is, "Role of Member as an Intermidiary between Citizens and the Government".In democracy, a member is the representative of the people. The representative of the people is identified as an important intermediary who communicates and conveys the feelings, hopes and aspirations of the common man to the Government in an effective manner.

As an intermediary, the role of a Member begins from Gram Panchayat, the smallest unit of Panchayati Raj System. Members not only get an opportunity to solve the problems of the people at grass-root level there but also get a chance to discharge their administrative responsibilities besides getting training and experience of various works. Consequently the Country as well as the society as a whole is benefitted by their experience at state as well as national level.

Playing an effective role of a communicator between the people and the administration is an important responsibility of a Member. Through constant public relation a Member discharges his/her functions and duties as a most effective link between the Government and the people. Being a Member of Parliament/MLA no doubt

अपनी सहमति दी । डॉ. साहब अनुपम संसदीय ज्ञान संपन्न, कर्मठ तथा सुलझे हुए लोकप्रिय राजनेता के रूप में ख्याति प्राप्त है । उनके संसदीय ज्ञान से लाभान्वित होने का सुअवसर आज हमें प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से उनका उद्‌बोधन हम सबके लिए ज्ञानवर्धक साबित होगा ।

आज का विषय है "नागरिक एवं सरकार के मध्य मध्यस्थ के रूप में सदस्य की भूमिका"। लोकतंत्र में सदस्य जनता का प्रतिनिधि होता है। जनप्रतिनिधि की पहचान आम जनता की भावनाओं एवं अपेक्षाओं को सार्थक, प्रभावी ढंग से सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण सेतु के रूप में है।

मध्यस्थ के रूप में सदस्य की भूमिका पंचायती राज संगठन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत से शुरू होती है । वहाँ सदस्यों को न केवल जमीन से जुड़ी नागरिक समस्याओं को हल करने का अवसर प्राप्त होता है, अपितु प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने और विभिन्न कार्यों का प्रशिक्षण और अनुभव भी प्राप्त होता है, फलस्वरूप प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर वह अपने अनुभव से देश और समाज को लाभ पहुँचाते हैं ।

जनता और प्रशासन के बीच नियमित संवाद का काम करना सदस्य का अहम दायित्व है । निरन्तर जनसंपर्क के माध्यम से सदस्य सरकार और जनता के मध्य एक अत्यंत सशक्त एवं प्रभावी कड़ी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है । सांसद/ विधायक होना प्रतिष्ठादायी तो होता है किंतु प्रतिष्ठा बनी रहे इस हेतु उन्हें अपने दायित्वों का चुनौतीपूर्ण

symbolizes dignity and honour, but to maintain this status symbol they have to accept the challenges of discharging their functions effectively. It needs intellect and political acumen, efficiency, perseverance and personal ability for a Member to do his work effectively. In disposing of their constitutional responsibilities. It is very necessary for Members to make efforts to solve the problems of the people by raising them in the Parliament and State Legislatures through various devices and take active part in the working of various committees constituted by the Parliament/State Legislatures.

In a Parliamentary polity, the role of a people's representative as an intermediary between the Government and the people, is considered powerful because democracy is not only a system of governance but also a way of living and it is upto the people's representatives to give practical shapes to these principles of democracy.

Parliament/Legislatures are like beacons in a Parliamentary democracy but it's the Members conduct, discretion, commitment to the issues, curiosity to understand things and the knowledge of rules and procedures, which makes it all the more beneficial. The Members who raise the problems of the people under relevant rules and procedures forcefully, not only get the problems solved but raise their own stature and diginity alongwith that of the parliament/ Legislature.

निर्वहन भी करना होता है । सदस्य के रूप में प्रभावशाली ढ़ंग से अपना कार्य करना सदस्य विशेष की बौद्धिक एवं राजनैतिक विचार शक्ति, कर्मठता, जुझारूपन और व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करता है । अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में संसद तथा विधान मण्डलों में जन समस्याओं को विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रस्तुत कर निराकरण का प्रयास तथा संसद/विधान मंडलों द्वारा गठित की गई समितियों के प्रति सजगता सदस्यों के लिये अत्यावश्यक है।

संसदीय शासन प्रणाली में एक जन प्रतिनिधि की भूमिका सरकार और जनता के मध्यस्थ के रूप में इसलिये भी सशक्त मानी जाती है, क्योंकि लोकतंत्र महज एक शासन पद्धति नहीं अपितु जीवन पद्धति है, जिसके सैद्धान्तिक पक्ष को व्यवहार में परिवर्तित करने की भूमिका जन प्रतिनिधि निभाते हैं।

संसदीय लोकतंत्र में संसद/विधान मंडल एक प्रकाश स्तम्भ की तरह होते हैं, परन्तु इसका लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि सदस्यों के आचरण, विवेक, विषय के प्रति समर्पण, समझने की ललक और नियमों, प्रकियाओं की उसे कितनी जानकारी है । क्योंकि जो सदस्य संसदीय नियमों एवं प्रकियाओं के अंतर्गत जन समस्याओं को प्रभावकारी ढ़ंग से सदन में उठाते हैं, उससे जन समस्याएं तो हल होती ही हैं, उन सदस्यों की गरिमा और प्रतिष्ठा, बढ़ने के साथ ही साथ संसद/विधान सभा की मर्यादा और गरिमा की भी रक्षा होती है ।

The responsibilities of the representatives of people in a parlimentary democracy are enormous; since all the important decisions are taken in parliament/Legislative Assemblies and the Executive is responsible for their implementation. If the decisions are good, the outcome is also good. This is an acid test for resprensentatives of people. The wisdom reflected in the decision taken by them in the public interest is assessed by the people. If a Member claims to be a representative in the real sense, he should prove and establish himself in the role of a well-wisher of people. There may be difference of opinion on certain issues but one should rise above the narrow considerations and think in the larger interest. In the wider perspective the personal interest of a member should immerse in the larger public good.

Parliamentary democracy provides freedom of expression. The aim and object of our democratic institutions is to ponder over people's problems and resolve them. It is the prime duty of the Members as an intermediary to ensure that the system of governance is utilized for upliftment of poor and needy. The main responsibility of a Member is to raise the voice of the people and present their problems in the House. He is aware of the legislations required for governance of society in an orderly manner and also of the amendments to be made in the existing laws in view of the immediate

संसदीय लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों का दायित्व असीमित और व्यापक है अतः उन्हें उत्कृष्ट गुणों एवं कार्यशैली से समृद्ध होना चाहिए । लोकतंत्र में समस्त महत्वपूर्ण निर्णय संसद तथा विधान सभाओं में लिये जाते हैं तथा उनका पालन व क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है । यदि निर्णय अच्छे होते हैं, तो उनका परिणाम भी अच्छा ही होता है। यहीं जनप्रतिनिधियों की वास्तविक परख होती है कि कितनी सूझ–बूझ से वे जनहित के निर्णय लेते हैं इसका आंकलन जनता करती है । यदि सदस्य वास्तव में जन प्रतिनिधि कहलाने का दावा करता है तो उसे जनता के हितचिंतक के रूप में अपने आप को प्रमाणित एवं स्थापित करना चाहिए हो सकता है किसी बिन्दु पर उसकी सोच भिन्न हो लेकिन उसे, एकांकी दृष्टिकोण एवं सीमित सोच पर अंकुश लगाकर सामूहिक हित चिंतन का भागीदार बनना चाहिए । व्यापक परिक्षेत्र में उसकी व्यक्तिगत हैसियत सामूहिक हैसियत में समाहित हो जानी चाहिए ।

संसदीय लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है । हमारी लोकतंत्रीय संस्थाएँ जन समस्याओं पर गहन–मन्थन कर उनका निराकरण करने के लिये बनी हैं । मध्यस्थ के रूप में सदस्यों का प्रमुख दायित्व है कि शासन–व्यवस्था का उपयोग समाज के गरीब तथा जरूरतमंद लोगों के उत्थान के लिये हो। प्रमुख तौर से वह विधान सभा के अंदर जनता की आवाज को सरकार तक पहुँचाता है, उनकी समस्याओं को रखता है । उसे इस बात की जानकारी रहती है कि समाज को सुव्यवस्थित ढ़ंग से चलाने के लिये किन–किन कानूनों की आवश्यकता है और जो वर्तमान में कानून

needs in the present circumstances. He raises the voice of the people in the House through various parliamentary devices available to him as per the rules.

As a law-maker, a Member has a unique opportunity to make legislations in accordance with the needs of the society. Through several parliamentary devices, like Questions, Motions, Debates, etc., he ensures the accountability of the Government thereby safeguarding the public interest. A member participates in the process of policy- making and evolves consensus through the Consultative Committees of the Ministries. A Member can easily approach the Ministers, bureaucrats and other government officials without any cumbersome official formalities and can raise the problems of the public before the Government and get them resolved in an effective manner. In this way, it is obvious that a Member with dynamic personality and positive attitude can play the role of an impressive intermediary between people and the government.

A number of people approach the members for the disposal of cases pending before different authorities. One of the reasons is that a Member possesses detailed and authentic information of government policies, programmes and plans. A member shares this information with the people to help them reap the benefits of the government

बने हुये हैं उनमें से तात्कालिक आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में विद्यमान परिस्थितियों के अनुरूप क्या परिवर्तन करने चाहिए। वह जनता–जनार्दन के महत्वपूर्ण मामले सदन में नियमों के अनुरूप विभिन्न माध्यमों से उठाता है।

कानून निर्माता की प्राथमिक भूमिका में उसे समाज की जरूरतों के अनुरूप विधान बनाने का अवसर मिलता है, उसके पास विभिन्न संसदीय विकल्प उपलब्ध होते हैं जैसे प्रश्न पूछकर, विभिन्न प्रक्रिया सम्मत प्रस्ताव लाकर, और वाद–विवाद के माध्यम से वह सार्वजनिक हितों का रक्षक बनकर सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित कराता है । वह मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से नीति निर्माण और आम राय बनाने की प्रक्रिया में भाग लेता है । वह मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से सुगमता से मिल सकता है, जिससे उसे नौकरशाही की लम्बी औपचारिकताओं में भटकना नहीं पड़ता और वह जनता की समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से सरकार के समक्ष रखकर उसका समाधान करा सकता है, इस तरह से यदि देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि सदस्य यदि सक्रिय, व्यक्तित्व एवं सकारात्मक विचारों से संचालित होगा तो वह अनेक मामलों में नागरिकों और सरकार के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है ।

सामान्यतः बड़ी संख्या में नागरिकगण सदस्यों के पास विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष लंबित मामलों के निराकरण के लिए आते हैं । इसके पीछे एक कारण यह भी है कि सदस्य के पास सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं की विस्तृत जानकारी,

plans and programmes by giving information to them in this regard.

In view of the nature and scope of work of a member it may be said that he is a friend, philosopher and guide to the people. His role extends from personal level to collective good. As a vital link between the people and the Government, a member plays a significant role in making the people aware of the democratic values and their rights and responsibilities; training the voters and inspiring them to become good citizens.

To conclude, the Member plays an important role as an intermediary between government and the people, as an advisor, as a guide and as a prudent decision maker working in an integrated and balanced manner.

I feel privileged for this opportunity of getting benefitted by the experiences and thoughts expressed by the veteran, eminent and experienced parliamentarians in this symposium today. I am confident that it will have far-reaching impact. I express my gratitude to Hon'ble Speaker, Lok Sabha, Hon'ble Chief Minister and other dignitaries present here.

Thanks!

Jai Hind, Jai Chhattisgarh.

और अधिकृत सूचनाएं होती हैं । अतः इनकी जानकारी नागरिकों को देकर सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का लाभ उठाने में नागरिकों की सहायता करता है।

सदस्यों के कार्य विस्तार के स्वरूप को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सदस्य जनता का मार्गदर्शक होता है। उसकी भूमिका व्यक्तिगत स्तर से शुरू होकर सामूहिक मध्यस्थ तक की होती है। मध्यस्थ के रूप में लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति जनता को जागरूक बनाना, मतदाताओं को प्रशिक्षित करना, उन्हें अच्छा नागरिक बनाना, अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के प्रति उन्हें सजग बनाने की भूमिका संपादित करता है।

संक्षेप में सदस्य सरकार और नागरिक के मध्य मध्यस्थ के रूप में, प्रेरक के रूप में, सलाहकार के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, समन्वित, सन्तुलित कार्यपद्धति से निर्णायक के रूप में, अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है।

आज इस संगोष्ठी में, आप सब प्रख्यात अनुभवी, संसदीय ज्ञान संपन्न महानुभावों के अनुभवों, विचारों को सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, मुझे विश्वास है, इस संगोष्ठी का दूरगामी लाभ हमें प्राप्त होगा मैं माननीय अध्यक्ष लोक सभा, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन अतिथिगण आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

धन्यवाद, जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़